सत्यमेव जयते

संख्या– / जी0एस0(शिक्षा) / A4-135-1 / 2017

प्रेषक,

रविनाथ रामन
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपतिगण,
1. वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सुद्धोवाला, देहरादून।
2. कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3. श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
4. हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : 21 अगस्त, 2023**

विषय : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान, महाविद्यालय व कॉलेजों की संबद्धता हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्यपाल सचिवालय के पत्र सं0–1739, दिनांक 18 अगस्त, 2022 के माध्यम से सम्बद्ध संस्थानों, महाविद्यालयों व कॉलेजों में संचालित पाठ्यक्रमों की शैक्षिक सत्र 2023–24 एवं अग्रेत्तर सत्रों की अस्थाई सम्बद्धता के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में समय–सारिणी निर्धारित की गयी थी।

2. उपरोक्त निर्धारित समय–सारिणी के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त सम्बद्ध संस्थानों, महाविद्यालयों व कॉलेजों में संचालित पाठ्यक्रमों की शैक्षिक सत्र 2024–25 एवं अग्रेत्तर सत्रों की अस्थाई सम्बद्धता के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार समय–सारिणी निर्धारित की जाती है :–

क्र.	विवरण	समय–सारिणी
1	राज्य सरकार के स्तर से संस्थान, महाविद्यालय व राजकीय कॉलेजों में पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने की अन्तिम तिथि तत्पश्चात निर्गत अनापत्ति अगले शैक्षिक सत्र हेतु मान्य होगी।	31 दिसम्बर
2	संस्थान, महाविद्यालय व राजकीय कॉलेजों से विश्वविद्यालय में अस्थाई सम्बद्धता के प्रस्ताव प्राप्त होने की अन्तिम तिथि। तत्पश्चात जो प्रस्ताव प्राप्त होंगे वह अगले शैक्षिक सत्र हेतु मान्य होंगे।	15 जनवरी
3	विश्वविद्यालय स्तर से समस्त कार्रवाई उपरान्त मा0 कुलाधिपति को संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप पर अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की अन्तिम तिथि	30 अप्रैल
4	मा0 कुलाधिपति कार्यालय से प्रस्तावों में परिलक्षित आपत्तियों का निराकरण किये जाने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित करने की समयावधि	विश्वविद्यालय से प्रस्ताव की प्राप्ति तिथि से अधिकतम एक माह के भीतर

क्रमशः.........2 / ...

5	विश्वविद्यालय स्तर से त्रुटि निराकरण उपरान्त पुनः प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का समयावधि	कुलाधिपति कार्यालय से निर्गत पत्र की प्राप्ति/ई-मेल से अधिकतम एक माह के भीतर
6	मा0 कुलाधिपति स्तर से पूर्वानुमोदन पर अन्तिम निर्णय की समयावधि	30 जुलाई
7	विश्वविद्यालय से आदेश निर्गत किये जाने की अन्तिम तिथि	15 अगस्त

उक्त निर्धारित समय–सारिणी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या–4952(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A4-135-1/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1 सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2 सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3 सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4 कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।